

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज।

(e-mail- dfokasganj@gmail.com, phone no. 05744 -247550)

दिनांक, कासगंज, फरवरी, ५

2019

पत्रांक 1591 / 14-1  
सेवा में,

वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त,  
अलीगढ़।

विषय:- कासगंज में पीलीभीत-बरेली-मथुरा मार्ग (एच0एच0-33) कि0मी0 चैनैज 134.022 की दायीं पट्टी पर ग्राम-मानपुर नगरिया के खसरा संख्या-489 पर बी0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.094768 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक 2234 / 14-1 दिनांक 10.01.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर रिपोर्ट

निम्नानुसार प्रेषित है :-

	संस्तुति सहित प्रेषित।
1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 506 / 11-सी दिनांक 04.09.2018 के क्रम में अपनी स्पष्ट सहमति / संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया है।	
2- भारत प्रेट्रोलियम का0 लि0 मथुरा के प्रादेशित प्रबन्धक श्री टोनेश चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत पावर ऑफ एटर्नी चार प्रतियों में नहीं है।	पावर ऑफ एटर्नी चार प्रतियों में प्रेषित है।
3- पावर ऑफ एटर्नी प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	पावर ऑफ एटर्नी प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
4- पावर ऑफ एटर्नी में हस्ताक्षर के साथ तिथि अंकित नहीं है।	पावर ऑफ एटर्नी में हस्ताक्षर के साथ तिथि अंकित कर दिया गया है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

15/03/02  
(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)

प्रभागीय वनाधिकारी,

कासगंज वन प्रभाग, कासगंज।